बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

**आदेश**

सं0 सं0–3/आ01–208/2016................../दिनांक–06.12.2016 को विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि गया जिला के लाभुक आधारित योजनाओं यथा, साईकिल, पोशाक, प्रोत्साहन आदि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है।

अतः सरकार के आदेशानुसार कार्य में लापरवाही, कर्तव्यहीनता इत्यादि आरोपों के संदर्भ मे प्रभारी पदाधिकारी, ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता कोषांग शिक्षा विभाग, के पीत पत्र सं0–241 दिनांक 06.12.2016 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री सुरेश चौधरी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (योजना एवं लेखा), गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम (9) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश निर्गत कि तिथि से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबित अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मगध प्रमंडल, गया कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबिन अवधि में श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम (10) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अविध के निर्धारित मुख्यालय से देय होगा।

4. श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' एवं विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/–

**(सुशील कुमार)**

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक–3/आ01–208/2016 1009/ पटना, दिनांक 06.12.16/

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव (वै0दा0नि0को0) वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमण्डल गया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/प्रशाखा पदाधिकारी, पटना–02 एव प्रशाखा–03 शिक्षा विभाग, बिहार पटना/श्री सुरेश चौधरी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/12/2016

**(सुशील कुमार)**

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव